85

No.ECS-H (1) B (2)-
Government of Himachal Pradesh,
Economics and Statistics Department.

Dated Shimla-171009 the 23rd February, 2010.

To

The Principal Secretary (E&S) to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002.

Subject:- Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver - Notification in Rajpatra.

Sir,

The Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver has now been published in the Rajpatra No.235 on 20th Feb., 2010 and the print thereof has been taken. Five copies of Rajpatra are enclosed herewith for your information and necessary action.

Yours faithfully,

Economic Adviser,
Govt. of HP

Encl.As above

(86)

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला शनिवार, 20 फरवरी, 2010/1 फाल्गुन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 फरवरी, 2010

संख्या एफ.डी.एस.–ए(3)–12/99.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या एफ.डी.एस.–ए(3)–12/99 तारीख 28–12–2006 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **उपाबन्ध–"क" का संशोधन.**–(1) हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के उपाबन्ध–"क" में:–

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shima-2, 17 February, 2010

No: Mudran (B) 2-3/2004.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Jagdish Chand Sharma, Assistant Controller (Stationery) (Class-I Gazetted) in the Department of Printing & Stationery , Himachal Pradesh shall retire from, Government service on attaining the age of Superannuation with effect from 31-7-2010 (A.N.)

By order,
B.S. NAINTA,
Secretary.

योजना विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग)

अधिसूचना

शिमला, 20 जनवरी, 2010

संख्या पी0एल0जी0–ए(1)–2/2006(एस0ए0).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, चालक वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.–(1) अधिसूचना संख्या : पी0एल0जी0–ए(3)–3/95 तारीख 15–2–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध–'क'

हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	**पद का नाम :**	चालक
2.	**पदों की संख्या :**	3 (तीन)
3.	**वर्गीकरण :**	वर्ग–III (अराजपत्रित)। (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)
4.	**वेतनमान :** (विस्तृत रुप में अंकित दरें)	**(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान/पे बैन्ड :** पी0बी0–2 5910–20200 रुपये। **(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :** 7910/– जैसे कि स्तम्भ संख्या 15–ए में दर्शाया गया है।
5.	**चयन पद अथवा अचयन पद :**	लागू नहीं ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु :** 18 वर्ष से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाए गी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए है/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं : (1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से आठवीं की कक्षा पास या इसके समतुल्य।

(2) पहाड़ी स्थानों पर भारी/हल्के यानों को चलाने का विधिमान्य अनुज्ञप्ति पत्र रखता हो।

(ख) वांछनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.**—आयु : लागू नहीं ।
शैक्षणिक अर्हता : लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो** : दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.**—शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.**—लागू नहीं।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**—लागू नहीं।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**—लागू नहीं।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा और अभ्यर्थी के गाड़ी चालाने एंव रख–रखाव कौशल हेतु व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति, नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों सहित मोटर मान निरीक्षण, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और प्रबंधक/फोरमैन, हिमाचल पथ परिवहन निगम में से कम से कम दो व्यक्तियों से गठित होगी। व्यवारिक परीक्षा पास करना अनिर्वाय होगा ।

15–क **संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :—

(1) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में चालक संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) आर्थिक सलाहकार हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे को दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञपित करवायेगा और इस संवर्ग के लिए इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तें रखने वाले पात्र अभ्यिार्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा आधार पर नियुक्त चालक को 7910/– रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में तीन प्रतिशत की रकम (पद के वेतनमान/पे बैंड के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—आर्थिक सलाहकार, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् आर्थिक सलाहकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी सलाहकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(vi) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्ते.—(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7910/– रुपए की नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में तीन प्रतिशत (पद के वेतनमान/पे बैन्ड के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर–एस.आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होगें।

16. **आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. **विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं ।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–'ख'

..(पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ....(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी ....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य.......................... ....(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ....(पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार ....(पद का नाम) के रूप में .... से प्रारम्भ होने और................ को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को, अर्थात्..दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नही होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम...................../– रुपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त .... (पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त..(पद का नाम) को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त ....(पद का नाम) कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1...

....

(नाम व पूरा पता)

2...

....

(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1...

....

(नाम व पूरा पता)

2...

....

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. PLG-A (1)-2/2006 (Driver) Dated 20-01-2010 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT

(Economics & Statistics)

NOTIFICATION

Shimla-2, 20th January, 2010

No. PLG-A (1)-2/2006 (Driver).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the

Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Repeal and Savings.**—(1) The Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Driver (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* Notification No. PLG-A (3)3/95, dated the 15th February, 1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRIVER, CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.**—Driver.

2. **Number of post(s).**—3 (THREE)

3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) (Non - Ministerial Services)

4. **Scale of pay.**—(i) Pay band for regular incumbents:
PB-2 Rs.5910-20200.

ii) Emoluments for Contract employees:
Rs.7910/- (BP Rs.5910 + PB 2000)as per details given in Col.15-A.

5. **Whether selection post or non-selection post.**—Not Applicable

6. **Age for direct Recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contractual basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment;

(94)

Provided further that upper age limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all public sector Corporations and Autonomous Bodies, who happened to be Government servants before absorption in public sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitments will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment ex-changes or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment(s).—(a) Essential Qualification: (i) Should be Middle Pass or its equivalent from recognized Board of School Education/Institution.

(ii) Must possess valid driving licence for the plying of heavy/ light vehicles in Hilly terrain.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of custom, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes?.—Age : Not applicable. **Educational Qualification. :** Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or on Contract basis. The contract employees will get the emoluments as given in Col.15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—N.A.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—N. A.

14. Essential requirement for a direct recruit.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *vivavoce* and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. Mechanical, HP PWD and Manager/Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing Authority. Passing of practical test shall be mandatory.

15-A Selection for appointment to post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Driver in Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) The Economic Adviser, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7910/-P.M. (which shall be equal to initial of the pay band +Grade pay). An amount of 3% (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay band and grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Economic Adviser, Himachal Pradesh will be the Appointing and Disciplinary Authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. Economic Adviser, Himachal Pradesh.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the Economic Adviser, Himachal Pradesh, from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B"** appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7910 /-P.M.(which shall be equal to initial of the pay band + Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 3% (equal to annual increase in the minimum/ Initial start of the pay band and grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shalll not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfers of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—N. A.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the _______________(Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through _________________(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this________ day of ____________________ in the year ___________ Sh./Smt.________________________ S/o D/o Shri.______________________ R/o ____________________________

_______________ appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through ____________________________(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a__________________ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ___________ (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of_____________ and ending on the day of ________. It is specifically mentioned and agreed/ upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. __________per month.

3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/contract of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual___________ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual__________(Name of the post). He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_________ (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of officer/official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.___________________

____

____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.___________________

____

____

(Name and Full Address)

98

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.____________________

____

____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.____________________

____

____

(Name and Full Address)

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्म्सडेल,शिमला–171002, Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

NOTIFICATION

Shimla-2, 20th Feb., 2010

No. SEC: 13-85/2006-I-476-81.—Whereas a vacancy has occurred in ward No. 4 of Nagar Panchayat Rewalsar District Mandi due to death of Sh. Bhagirath Garg an elected member of the said Nagar Panchayat;

Therefore, in pursuance of Rule 5 (1)(e) read with Rule 13 of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 1994, the State Election Commission hereby orders the special revision of electoral rolls of ward no. 4 of Nagar Panchayat Rewalsar District Mandi with 1.1.2010 as the qualifying date for inclusion of name of eligible electors as per programme appended below:

1.	Draft Publication of existing E. Rolls:	25.2.2010
2.	Period for filing claims & objection:	26.2.10 to 8.3.10
3.	Period for deciding claims and objections:	9.3.10 to 15.3.10
4.	Period for filing appeals:	within three days from the order passed by the Revising Authority.
5.	Period for deciding appeals:	within a week from the date of filing of an appeal.
6.	Final publication of electoral rolls:	27.3.10

The draft publication of electoral rolls shall be affixed at such places as specified under Rule 6 of the Rules ibid in addition to the concerned ward in Devnagri script. All claims and objections with regard to electoral rolls shall be filed and decided at the headquarter of Nagar Panchayat concerned. After the disposal of the claims and objections supplementary lists shall be prepared in cyclostyled form and attached to the original electoral rolls. The number of